तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **हासम खान बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 123 / 2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.23	अपीलार्थी हासम खान निवासी मै. मारवाड़ ऑटोमोबाइल्स, प्रथम ए. चौपासनी रोड़, जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.03.2023 में प्रार्थी के स्वामित्व भूमि ही खसरा न. 174 / 1 को राज्य सरकार व अन्य विभाग द्वारा अवाप्ति की गयी, जिसका मुआवजा प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ था, मुआवजा राशि नहीं मिलने की सम्पूर्ण जानकारी से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर, यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपरं जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	